



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 2000/भाद्र 17, 1922

No. 466]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 2000/BHADRA 17, 1922

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2000

सा. का नि. 709(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच नई दिल्ली में 21-12-98 को प्रत्यर्पण संधि संपन्न हुई और मास्को 30 मई, 2000 को अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया और इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

अनुच्छेद—एक

प्रत्यर्पण दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इस संधि में उल्लिखित परिस्थितियों और शर्तों के अध्वधीन ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस करार के अनुच्छेद दो में निर्दिष्ट अनुसार अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्पण अपराध करने का अपराधी है अथवा दोषसिद्ध है और प्रार्थित पक्षकार के क्षेत्र के भीतर पाया जाता है प्रत्यर्पित करने का वचन देते हैं, चाहे वह अपराध इस संधि के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा इसके बाद किया गया हो।

2. यह प्रत्यर्पण वर्तमान करार के अनुच्छेद दो में विहित उस प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी उपलब्ध होगा जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र के बाहर किया गया हो, परंतु इसके क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, जिसके संबंध में यदि प्रार्थित पक्षकार सदृश परिस्थितियों में ऐसे अपराध के बारे में क्षेत्राधिकार रखता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थित पक्षकार को अपराध की गंभीरता सहित नामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

3. वर्तमान करार के अनुच्छेद दो में उल्लिखित प्रत्यर्पण अपराध के लिए भी प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा यदि यह अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के किसी नागरिक द्वारा किसी तीसरे राज्य में किया गया हो और वर्तमान करार के अनुच्छेद पन्द्रह के उपबंधों के अध्वधीन, अनुरोधकर्ता पक्षकार का क्षेत्राधिकार अपराधी की नागरिकता पर आधारित हो।

अनुच्छेद—दो

प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के लिए प्रत्यर्पण अपराध वह अपराध है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के कानूनों के तहत न्यूनतम एक वर्ष की कैद के रूप में दण्डनीय हो।

2. कोई अपराध कर अथवा राजस्व से संबंधित अथवा पूर्णतः वित्तीय स्वरूप का होने पर भी एक प्रत्यर्पण अपराध हो सकता है।

अनुच्छेद—तीन

सम्मिश्र अपराध

इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा बावजूद इसके कि प्रार्थित पक्षकार में उस व्यक्ति का कार्य संचालन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पाया गया हो, यदि उसका कार्य संचालन और उसके प्रभाव, अथवा उसके अभीष्ट प्रभाव, कुल मिलाकर दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों के तहत प्रत्यर्पण अपराध के रूप में समझा जाएगा।

अनुच्छेद—चार**षडयंत्र करने, उत्तेजित करने और प्रयास करने के अपराध तथा राज्यक्षेत्रातीव अधिकारिता**

1. दोनों संविदाकारी पक्षकारों के कानूनों के तहत आने वाले किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, षडयंत्र करना अथवा अपराध करने का प्रयास करना, उसके लिए उकसाना अथवा एक सहभागी के रूप में भागीदार बनना एक अपराध होगा।
2. किसी भी संविदाकारी पक्षकार का कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर कोई अपराध करता है तो दोनों पक्षकारों के कानूनों के तहत यह भी एक अपराध होगा।

अनुच्छेद—पांच**प्रत्यर्पण के लिए इन्कार करने के आधार**

1. किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है यदि :
 - 1.1 वह प्रार्थित पक्षकार का नागरिक है; अथवा
 - 1.2 वह प्रार्थित पक्षकार को इस बात से संतुष्ट कर लेता है कि यदि उसे प्रत्यर्पित किया गया है तो उस पर उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रियता अथवा राजनीतिक विचारधारारों के कारण पूर्वाग्रहयुक्त मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा उसे सजा दी जा सकती है; अथवा
 - 1.3 वह प्रार्थित पक्षकार को इस बात से संतुष्ट करता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे निम्नलिखित कारणों से अन्यायपूर्ण अथवा दमनकारी ढंग से प्रत्यर्पित किया गया है :
 - 1.3.1 प्रार्थित पक्षकार के विधान के तहत आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करने अथवा सजा देने, अथवा अन्य विधिक आधारों के लिए नियत अवधि की समाप्ति;
 - 1.3.2 उसके विरुद्ध अभियोजन न्याय के हित न हो; अथवा
 - 1.4 प्रार्थित पक्षकार के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण की अनुमति न हो;
 - 1.5 यदि वह अपराध जिसके लिए उसे अभियोजित किया जाता है अथवा सिद्धदोष ठहराया जाता है, वह एक सैन्य अपराध है, जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत एक अपराध न हो।
2. किसी व्यक्ति को उस अपराध के सिलसिले में जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, प्रार्थित पक्षकार में उसके विरुद्ध पहले कार्यवाही की गई हो, और सिद्धदोषी ठहराया गया हो, अथवा दोषमुक्त किया गया हो, प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।
3. प्रार्थित पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि उस व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई हो, पर उक्त पक्षकार के न्यायालयों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

अनुच्छेद—छः**अभियोजन का दायित्व**

1. जिन मामलों में प्रार्थित पक्षकार इस करार के अनुच्छेद-पाँच के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित कारण के लिए प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करता है, वह उस मामले को अभियोजन के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी इस मामले में यह निर्णय लेता है कि अभियोजन नहीं चलाया जाता है तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनः विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद—सात**अपने-अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित न करने के परिणाम**

यदि इस करार के अनुच्छेद पाँच के पैराग्राफ 1(1) के अनुसार प्रत्यर्पण से इंकार किया जाता है तो प्रार्थित पक्षकार अपने कानूनों के अनुसार ऐसे अपराध के लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाएगा। इसके लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार प्रार्थित पक्षकार को संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य स्थानान्तरित करेगा।

अनुच्छेद—आठ**प्रत्यर्पण और अस्थायी प्रत्यर्पण का स्थगन**

1. यदि ऐसे व्यक्ति, जिसे प्रत्यर्पित किया जाना है, पर मुकदमा चलाया जा रहा हो अथवा प्रार्थित पक्षकार के क्षेत्र में किसी अन्य अपराध में उसे सजा दी जाती है, तो उस मामले की सुनवाई की समाप्ति तक, सजा की समाप्ति तक अथवा उसकी रिहाई तक प्रत्यर्पण स्थगित किया जा सकता है, जिसके बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार को परामर्श दिया जाएगा।
2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन से नियत समाप्त हो सकता है अथवा उससे जाँच में बाधा आ सकती है, तो अनुरोधकर्ता पक्षकार के विशेष अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
3. अस्थायी रूप से प्रत्यर्पित व्यक्ति को उस मामले की सुनवाई की समाप्ति के बाद तत्काल प्रार्थित पक्षकार को वापस करना चाहिए।

अनुच्छेद—नौ**प्रत्यर्पण क्रियाविधियां**

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा।

2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे :

- 2.1 जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया जाता है उसका नाम और उपनाम (गोत्रनाम), उसकी नागरिकता, निवास स्थान अथवा उसके बारे में सूचना और अन्य संबंधित आंकड़े तथा यदि सम्भव हो तो व्यक्ति के रूपरंग का विवरण, उसका फोटोग्राफ और उंगलियों के निशान से संबंधित सूचना;
- 2.2 अपराध के तथ्यों का बयान जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है; तथा
- 2.3 सदृश विधि का पाठ;
 - 2.3.1 उक्त अपराध की परिभाषा देते हुए; और
 - 2.3.2 उक्त अपराध के लिए अधिकतम सजा निर्धारित करते हुए।

3. प्रत्यर्पण के लिए अभियोजन के अनुरोध के साथ ऊपर उल्लिखित सूचना के अलावा सक्षम न्यायालय अथवा अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट संलग्न होना चाहिए।

4. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जिसे सिद्धदोष ठहराया गया हो और सजा दी गई हो तो इस अनुरोध के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा इस आशय का विवरण कि यह व्यक्ति सिद्धदोष अथवा सजा के प्रश्न का अब और हकदार नहीं है तथा कितने समय की सजा नहीं काटी गई है, भी संलग्न की जाएगी।

5. यदि प्रार्थित पक्षकार यह मानता है कि किए गए अनुरोध के अनुसार इस संधि के प्रयोजनार्थ दिए गए साक्ष्य अथवा दी गई सूचना किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना उचित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद—दस**अनन्तिम बंदीकरण**

1. तात्कालिक मामलों में प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने से पूर्व राजनयिक माध्यमों से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो के माध्यम से अनुरोधकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति को अनन्तिम तौर पर बंदी बनाया जा सकता है। इस अनुरोध-पत्र में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध की मंशा का संकेत होगा और उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट अथवा सिद्धदोष की अवस्थिति का विवरण और वर्तमान करार के अनुच्छेद नौ के पैराग्राफ 2.1 तथा 2.3 में निर्दिष्ट आंकड़े, यदि उपलब्ध हों, एवं ऐसी कोई अन्य सूचना, यदि कोई हो, जो किए गए अपराध के लिए अथवा सिद्धदोष घोषित किए गए व्यक्ति के प्रार्थित पक्षकार के क्षेत्र में गिरफ्तारी वारंट जारी करने को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए आवश्यक हों।

2. इस प्रकार के आवेदन के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी की तारीख 60 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् रिहा कर दिया जाएगा यदि उसके प्रत्यर्पण के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। यह उपबंध वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण से संबंधित आगामी कार्यवाहियों के प्रवर्तन में बाधा नहीं डालेगा यदि अनुरोध बाद में प्राप्त हुआ हो।

अनुच्छेद—ग्यारह**विशिष्टता का नियम**

1. प्रार्थित पक्षकार की सहमति के बिना प्रत्यर्पित व्यक्ति को उस अपराध के अथवा जिसके लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई है और उसका प्रत्यर्पण कराने के उद्देश्यों के संबंध में प्रमाणित तथ्यों द्वारा सामने आए किसी कम प्रकृति के अपराध के लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार में अभियुक्त अथवा दोषी करार नहीं दिया जा सकता है, न ही प्रार्थित पक्षकार की सहमति के बिना तीसरे राज्य के लिए उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

2. प्रार्थित पक्षकार की अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है यदि :

2.1 प्रत्यर्पित व्यक्ति आपराधिक अभियोजन की समाप्ति, सजा काटने अथवा किन्हीं विधिक आधारों पर रिहा होने के पश्चात् तीस दिन के भीतर अनुरोधकर्ता पक्षकार के प्रदेश को अवसर उपलब्ध होते हुए भी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार की अवधि में उस समय सीमा को शामिल नहीं माना जाएगा जिसके दौरान प्रत्यर्पित व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर कारणों के फलस्वरूप निवेदनकर्ता पक्षकार के प्रदेश को छोड़ने में असमर्थ रहता है;

2.2 यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति अनुरोधकर्ता पक्षकार के प्रदेश को एक बार छोड़ देने के उपरान्त, स्वेच्छा से उस प्रदेश में वापस आ जाए।

3. इस अनुच्छेद के पैरा (1) के प्रावधान इस संधि के तहत व्यक्ति की अनुरोधकर्ता पक्षकार को वापसी के पश्चात् किए गए अपराधों अथवा इस प्रकार के अपराधों के संबंध में उठते विवादों पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद—बारह**साक्ष्य का अभिज्ञान**

1. किसी संविदाकारी पक्षकार के प्रदेश में उसकी विधि के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और सक्षम न्यायालयों अथवा प्राधिकारियों की सरकारी मोहर लगे हुए सक्षम न्यायालयों या अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणित दस्तावेजों और दर्ज बयानों के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्षकार के प्रदेश में किसी भी रूप में सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. किसी एक संविदाकारी पक्षकार के प्रदेश में सार्वजनिक जाने वाले दस्तावेज दूसरे संविदाकारी पक्षकार के प्रदेश में भी सार्वजनिक दस्तावेजों के साक्ष्य के रूप में ही माने जाएंगे।

अनुच्छेद—तेरह**प्रतियोगी अनुरोध**

यदि किसी संविदाकारी पक्षकार और किसी तीसरे राज्य द्वारा, जिनके साथ प्रार्थित पक्षकार ने प्रत्यर्पण की व्यवस्था की हुई है, किसी व्यक्ति

का एक अपराध अथवा भिन्न अपनाथों के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, प्रार्थित पक्षकार यह तय करेगा कि वह व्यक्ति किस पक्षकार को प्रत्यर्पित किया जाए, और उसे संविदाकारी पक्षकार को वरीयता देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद—चौदह

प्राण दण्ड

यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार की विधि के अन्तर्गत वांछित व्यक्ति को उसी अपराध के संबंध में जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, प्राण दण्ड दिया जाना है, इसके विपरीत प्रार्थित पक्षकार विधि के अन्तर्गत इस प्रकार के मामले में मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुरोधकर्ता पक्षकार ऐसे आश्वासन नहीं देता है जिन्हें प्रार्थित पक्षकार पर्याप्त समझे कि मृत्युदण्ड की सजा नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद—पन्द्रह

स्थानान्तरण

1. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के स्थानान्तरण के तौर तरीके जैसा कि परस्पर रूप से सुविधाजनक हो दोनों संविदाकारी पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तय किए जाएंगे।

2. अनुरोधकर्ता पक्षकार वांछित व्यक्ति को प्रार्थित राज्य के प्रदेश से प्रार्थित पक्षकार की अनुमति से एक माह के भीतर अथवा जैसा कि प्रार्थित पक्षकार की विधि के अन्तर्गत अनुमत हो, अधिक अवधि में प्रत्यर्पित करा सकता है। यदि उस व्यक्ति को उस अवधि के भीतर प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है, प्रार्थित पक्षकार उसी अपराध के लिए उसको प्रत्यर्पित करने से मना कर सकता है।

अनुच्छेद—सोलह

अपराध से संबंधित वस्तुओं का अन्तरण

1. प्रार्थित पक्षकार प्रत्यर्पित किए जा रहे व्यक्ति द्वारा अपराध करने के संबंध में उपयोग की गई उन वस्तुओं को जिन पर अपराध के चिह्न अंकित हैं अथवा अपराध प्राप्तियां हैं अपने विधान की सीमाओं के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध करने पर उन वस्तुओं को सौंप देगा।

2. उपरोक्त वस्तुएं उन मामलों में भी स्थानान्तरित की जाएंगी जब यदि मृत्यु, पलायन और अन्य कारणों से उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करना संभव न हो सके।

3. प्रार्थित पक्षकार इस अनुच्छेद में वर्णित वस्तुओं के अन्तरण को, यदि वे किसी अन्य आपराधिक मामले के संबंध में कार्यवाही करने के निम्न अपेक्षित हैं, इस प्रकार की कार्यवाहियों की समाप्ति तक अस्थायी रूप से स्थगित कर सकता है।

4. अनुरोधकर्ता पक्षकार के लिए सौंपी गई वस्तुओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के अधिकार बदस्तूर बने रहेंगे। कार्यवाहियों के समापन के उपरान्त अनुरोधकर्ता पक्षकार इन वस्तुओं को अपने प्रदेश में उनके मालिकों को लौटा देगा। यदि मालिक प्रार्थित पक्षकार के प्रदेश में रहते हैं तो उन्हें सौंपने के लिए इन वस्तुओं को उसे वापस किया जाएगा। यदि मालिक किसी तीसरे देश के प्रदेश में हैं, अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा बिना किसी प्रकार के इन वस्तुओं को उन्हें लौटा दिया जाएगा।

5. इन वस्तुओं और धनराशि की वापसी प्रार्थित पक्षकार के विधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर की जाएगी।

अनुच्छेद—सत्रह

प्रत्यर्पण से संबंधित परस्पर विधिक सहायता

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार उस अपराध से संबंधित आपराधिक मामलों में जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अपनी विधि द्वारा अनुमत सीमा तक, अन्य पक्षकार को यथासंभव अधिक से अधिक परस्पर विधिक सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद—अठारह

प्रत्यर्पण से संबद्ध व्यय

प्रत्यर्पण से संबद्ध सभी व्यय उस पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे जिसके प्रदेश में प्रत्यर्पण किया गया हो। किसी तीसरे राज्य से दूसरे संविदाकारी पक्षकार के प्रदेश में होकर किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पित व्यक्ति के पारगमन परिवहन पर होने वाले व्यय पारगमन कराने वाले संविदाकारी पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

अनुच्छेद—उन्नीस

भाषाएं

वर्तमान संधि का पालन करते समय, संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार की राष्ट्रभाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करते हुए अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करेंगे।

अनुच्छेद—बीस

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियां

वर्तमान संधि संविदाकारी पक्षकारों के उन अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न होते हैं जिन पर संविदाकारी पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हैं।

अनुच्छेद—इक्कीस

अनुसमर्थन और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्वान है और यह अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस संधि को राजनयिक माध्यमों के जरिये, दूसरे पक्षकार को किसी भी समय सूचना देकर

समाप्त कर सकता है और यदि इस आशय की सूचना दे दी गई है यह संधि इस सूचना के प्राप्त होने के छह माह के पश्चात् समाप्त हो जाएगी। इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने-अपने प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज एक हजार नौ सौ अठ्ठानबे के दिसंबर मास के 21वें दिन हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में संपन्न सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। निर्वाचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अतः जब प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रूसी संघ की संदर्भ में प्रवृत्त प्रत्यर्पण संधि अथवा लागू प्रबंधों के संबंध में विद्यमान भारत सरकार की किसी अधिसूचना के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि अध्याय 2 से इतर इस अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से रूसी संघ पर लागू होंगे।

[सं. टी 413/45/96]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सीपीबी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th September, 2000

GSR 709 (E).—Whereas the Extradition Treaty between the Government of Republic of India and the Russian Federation was signed at New Delhi, India on 21-12-98; and the instruments of ratification exchanged at Moscow, Russia on 30th May, 2000 and which Treaty provides as follows :

Article-1

Obligation to extradite

1. Each Contracting Party undertakes to extradite to the other Contracting Party, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, committed within the territory of the Requesting Party, is found within the territory of the Requested Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty committed outside the territory of the Requesting Party but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested Party would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

3. Extradition shall also be available for an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, if it is committed in a third State by a citizen of the Requesting Party and it bases its jurisdiction on the citizenship of the offender, subject to the provisions under Article 15 of this Treaty.

Article 2

Extradition offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

Article 4

Offences of conspiracy, incitement and attempt, and extra-territorial jurisdiction

1. It shall be an offence under the laws of both the Contracting Parties for any person to abet, conspire or attempt to commit, or incite or participate as an accomplice in the commission of, any extradition offence.

2. It shall also be an offence under the laws of both the Contracting Parties, for any citizen of a Contracting Party to commit any offence in any place beyond its territory.

Article 5

Grounds for refusal of extradition

1. A person may not be extradited if :

1.1 he is a citizen of the Requested Party; or

1.2 he satisfies the Requested Party that he might, if extradited, be prejudiced at his trial or be punished, by reason of his race, religion, nationality or political opinions; or

1.3 he satisfies the Requested Party that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of ;

1.3.1 the expiry of the limitation-period for initiating the criminal proceedings under the legislation of the Requested Party or for execution of a sentence, or on other legal grounds;

1.3.2 the accusation against him having not been made in the interests of justice; or

1.4 the extradition is not permitted according to the laws of the Requested Party;

1.5 the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

2. A person shall also not be extradited if in respect of the offence for which his extradition is requested, he has been previously proceeded against in the Requested Party, and convicted or acquitted.

3. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that Party.

Article 6

Obligation to prosecute

1. Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 3 of Article 5 of this Treaty, it shall submit the case to its competent authorities for prosecution.

2. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 7

Consequences of non-extradition of own citizens

If according to paragraph 1.1 of Article 5 of this Treaty, extradition is refused, the Requested Party, shall initiate criminal prosecution against such person for the same offence according to its laws. For this the Requesting Party shall transfer to the Requested Party the relevant documents and evidence.

Article 8

Postponement of extradition & temporary extradition

1. If the person to be extradited is being prosecuted or serving sentence for another crime in the territory of the Requested Party, the extradition may be postponed till the end of the proceedings of the case, end of sentence or release, which shall be advised to the Requesting Party.

2. If the postponement of extradition can cause the expiration of the limitation or impede the investigation, the person can be extradited temporarily under a special request of the Requesting Party.

3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested Party immediately after the end of the proceedings of the case.

Article 9

Extradition procedures

1. The request for extradition shall be made through diplomatic channels.

2. The request shall be accompanied by :

2.1 the name and surname (petronym) of the person whose extradition is requested, information on his citizenship, place of residence or whereabouts and other pertaining data, as well as, if possible, the description of the person's appearance, his photographs and fingerprints.

2.2 a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and

2.3 the text, of the corresponding law;

2.3.1 defining that offence; and

2.3.2 prescribing the punishment for that offence.

3. The request for extradition for the prosecution, besides the information specified above, must be accompanied by the warrant of arrest issued by a competent court or authority of the Requesting Party.

4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the judgement and a statement that the person is no longer entitled to question the conviction or sentence and showing how much of sentence has not been carried out;

5. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within a reasonable time.

Article 10

Provisional arrest

1. In urgent cases a person may be provisionally arrested by the Requested Party. In accordance with its law, on the request of the competent authorities of the Requesting Party, made either through Diplomatic Channels or the

National Central Bureau of International Criminal Police Organisation—INTERPOL, before the receiving of the request for extradition. The request shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and a statement of existence of a warrant of arrest or a conviction against him; and, if available, the data specified in paragraphs 2.1 and 2.3 of Article 9 of this Treaty and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person been convicted, in the territory of the Requested Party.

2. A person arrested upon such a request shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request for extradition is subsequently received.

Article 11

Rule of speciality

1. The extradited person may not without consent of the Requested Party, be prosecuted or punished in the Requesting Party for the offence other than that for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his extradition, nor may such a person, without consent of the Requested Party, be extradited to a third State.

2. The consent of the Requested Party is not required if :

2.1 the extradited person has not left, though had the opportunity, the territory of the Requesting Party within 30 days after termination of the criminal prosecution, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his control;

2.2 if the extradited person, once having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns there.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of person to the Requesting Party or matters arising in relation to such offences.

Article 12

Recognition of documents and evidence

1. Documents issued or certified and statements recorded by competent Courts or other authorities in the prescribed form in the territory of one Contracting Party as per its laws shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.

2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.

Article 13

Competing requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting Party and a third State with which the Requested Party has an extradition arrangement, the Requested Party shall determine the State to which the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting Party.

Article 14

Capital punishment

If under the law of the Requesting Party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty for the same offence, extradition may be refused, unless the Requesting Party gives such assurances as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 15

Transfer

1. The modalities of transfer of the person to be extradited shall be agreed upon by the competent authorities of both the Contracting Parties as mutually convenient.

2. The Requesting Party shall take the person sought from the territory of the Requested Party within one month of the consent of Requested Party to extradite or such longer period as may be permitted under the law of the Requested Party. If the person is not removed within that period, the Requested Party may refuse to extradite him for the same offence.

Article 16

Transfer of articles connected with crime

1. The Requested Party shall, within the limits of its legislation, transfer by the request of the Requesting Party the articles used for committing crime by the person being extradited, articles bearing crime traces or crime proceeds.

2. The above articles shall be transferred also in cases when the extradition cannot be effected if the person died, fled or due to other reasons.

3. The Requested Party may temporarily postpone the transfer of the articles referred to in paragraph 1 of this Article if they are required for proceedings instituted in connection with another criminal case till the end of such proceedings.

4. The rights of third persons to the articles transferred to the Requesting Party shall remain in force. Upon termination of the proceedings the Requesting Party shall return these articles to their owners in its territory. If the owners are in the territory of the Requested Party the articles are to be returned to it for the transfer to them. If the owners are in the territory of a third country the articles shall be returned to them by the Requesting Party without charge.

5. The transfer of the articles and of money shall be effected within the limits provided for by the legislation of the Requested Party.

Article 17

Mutual legal assistance in extradition

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 18

Expenses on extradition

All expenses related to the extradition shall be borne by the Contracting Party in whose territory the same occurred. The expenses caused by transit transportation of the extradited person by one of the Contracting Parties from a third State through the territory of the other Contracting Party shall be borne by the Contracting Party effecting the transit.

Article 19

Languages

While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language.

Article 20

International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the right and obligations of the Contracting Parties arising from other International Conventions/Treaties to which the Contracting Parties are signatories.

Article 21

Ratification and termination

1. This Treaty shall be subject to ratification and it shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.

2. Either of the Contracting Parties may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other Contracting Party through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Authorities, have signed this Treaty.

Done in duplicate at New Delhi this 21st December, 1998 in Hindi, Russian and English languages, each version being equally authentic. In case of any interpretational difference, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), and in suppression of the notification of the Government of India. If any existing relating to extradition treaty or arrangement applicable in respect of the Russian Federation, the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to the Russian Federation with effect from the date of the publication of this notification.

[No. T. 413/45/90]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)